<u>बिहार सरकार</u>
<u>पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग</u>

ज्ञापांक–पि0व0/गै0यो0–45–3/2014– पटना, दिनांक–

सेवा में,

Mail

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषयः–**वित्तीय वर्ष 2017–18 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों के संचालन हेतु राज्य योजना के तहत कार्यालय व्यय मद में कुल रू0 1,07,000/– (रूपये एक लाख सात हजार) मात्र की निकासी की स्वीकृति।**

आदेशः–**स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना के लिए राज्य योजना के तहत नवनिर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों के संचालन हेतु कार्यालय व्यय मद में रू0 1,00,00,000/– (रूपये एक करोड़) मात्र का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध किया गया है। तद्नुसार जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर को कार्यालय व्यय मद में रू0 **1,07,000/– (रूपये एक लाख सात हजार)** मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त स्वीकृत राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277– शिक्षा–0101–आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एंव जीर्णोद्धार विषयशीर्ष 13.01 कार्यालय व्यय जिसका विपत्र कोड संख्या–11-4225032770101 है, के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। निकासी की गयी राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद तत्काल विभाग को भेजा जाय। इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.98 तथा पत्रांक–2218 दिनांक–16.03.02 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। संबंधित उप निदेशक (कल्याण) इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

राशि की निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक व्यय दिनांक–31.03.2018 तक हो सके एवं व्यय की संभावना नहीं होने पर अतिरिक्त राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित कर दिया जाय।

4– अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के पदाधिकारियों को सुविधा के अनुसार लेखा का अंकेक्षण एवं परीक्षण का अधिकार होगा।

5– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

(P.T.O.)

F/Jai Sir/All San.Ord.Let./v

ज्ञापांक-पि0व0/गै0यो0-45-3/2014- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकार/उप कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/संबंधित उप निदेशक (कल्याण)/जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/गै0यो0-45-3/2014- 21 पटना, दिनांक- 12.3.18

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर /संबंधित छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.18
सरकार के सचिव।

F/Jai Sir/All San.Ord.Let./v